उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 8 अंक 5 1-15 मार्च 2025 ₹ 20/-

मुगल बादशाह औरंगजेब पर मचा बवाल

- कर्नाटक के सरकारी ठेकों में मुसलमानों को आरक्षण
- पाकिस्तान में बलूच विद्रोहियों द्वारा ट्रेन अपहरण
- सीरिया में शिया-सुन्नियों के बीच खौफनाक जंग
- अरब देशों द्वारा गाजा के पुनर्निर्माण की योजना पेश

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

मुगल बादशाह औरंगजेब पर मचा बवाल 04
कर्नाटक के सरकारी ठेकों में मुसलमानों को आरक्षण 12
जम्मू कश्मीर में दो पृथकतावादी संगठनों पर प्रतिबंध 14
उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में ईसाइयत का प्रसार 15
मध्य प्रदेश में धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा 16

विश्व

पाकिस्तान में बलूच विद्रोहियों द्वारा ट्रेन अपहरण 17
पाकिस्तान में नमाज पढ़ने पर 100 अहमदिया गिरफ्तार 20
अफगानिस्तान के गृह मंत्री का त्यागपत्र 22
ब्रिटेन के शाही महल में पहली बार रोजा इफ्तार का आयोजन 23
यूरोप में इस्लामिक कट्टरतावाद की लहर 24

पश्चिम एशिया

सीरिया में शिया-सुन्नियों के बीच खौफनाक जंग 25
अरब देशों द्वारा गाजा के पुनर्निर्माण की योजना पेश 27
यमन में हूतियों के ठिकाने पर अमेरिका और ब्रिटेन के हमले 29
संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय महिला को फांसी 30
आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के प्रमुख की हत्या 32

सारांश

पिछले दिनों लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी फिल्म 'छावा' सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज की बर्बरतापूर्ण हत्या को भी दिखाया गया है। इसके बाद से ही देशभर में औरंगजेब के खिलाफ जनाक्रोश भड़क उठा है। हैरानी की बात है कि मुस्लिम संगठन और सेक्युलरवादी दल कट्टरपंथी औरंगजेब के समर्थन में मैदान में कूद पड़े हैं। उर्दू मीडिया ने भी औरंगजेब को महिमामंडित करने का अभियान छेड़ दिया है। उर्दू मीडिया और मुस्लिम संगठन सुनियोजित तरीके से केंद्र सरकार और भाजपा को अपना निशाना बना रहे हैं। इनका आरोप है कि भाजपा मुसलमानों की अलग पहचान को खत्म करके देश में हिंदू राष्ट्र स्थापित करना चाहती है। हाल ही में नागपुर में मुसलमानों ने औरंगजेब के समर्थन में जो उत्पात मचाया उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने इन दंगों को पूर्वनियोजित साजिश करार दिया है।

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम ठेकेदारों को सरकारी ठेकों में चार प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। इस पर देश में एक नया विवाद शुरू हो गया है। संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी समुदाय को धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। जबकि कांग्रेस का दावा है कि मुसलमान पिछड़े हुए हैं, इसलिए उनके विकास के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त सिद्धारमैया सरकार ने अपने ताजा बजट में मुसलमानों के कल्याण के लिए सरकारी खजाने खोल दिए हैं।

पाकिस्तान की स्थिति बड़ी तेजी से बिगड़ रही है। हाल ही में बलूचिस्तान की आजादी हेतु संघर्षशील बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) के लड़ाकों ने क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का अपहरण कर लिया। इस ट्रेन में 450 लोग सवार थे। बीएलए ने इस ट्रेन में सवार बलूच नागरिकों, बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को पहले ही मुक्त कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान सरकार ने दावा किया है कि इन बंधकों को उसकी सेना ने मुक्त करवाया है। बीएलए ने पाकिस्तान सरकार से मांग की कि वह जेलों में बंद बलूच स्वतंत्रता सेनानियों को फौरन रिहा कर दे, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने उनकी इस मांग को ठुकरा दिया। इसके बाद बीएलए ने यह घोषणा की कि पाकिस्तान सरकार ने जेलों में बंद बलूच कैदियों को रिहा करने की मांग को ठुकरा दिया है, इसलिए हमने बंधक बनाए गए 154 लोगों की हत्या कर दी है, जिसमें से अधिकांश पाकिस्तानी सेना और अन्य सुरक्षा संगठनों से संबंधित थे। बीएलए ने एक अन्य हमले में 90 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या करने की पुष्टि की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने पाकिस्तानी सेना के आठ वाहनों को भी तबाह कर दिया है।

सीरिया में सुन्नियों और शियाओं के बीच खूनी झड़पें जारी हैं। विदेशी मीडिया के अनुसार इन झड़पों में लगभग दो हजार लोग मारे जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त सीरिया के सरकारी सैनिकों ने एक हजार से अधिक महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया है। सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने दावा किया है कि इस हिंसा को भड़काने में हिजबुल्लाह का हाथ है। वहीं, इराक के प्रधानमंत्री शिया अल-सुदानी ने दावा किया है कि अमेरिकी सैनिकों के सहयोग से इराकी सुरक्षा बलों ने इस्लामिक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के प्रमुख अबू खदीजा की हत्या कर दी है। सीरिया की नई सरकार ने आईएसआईएस के खिलाफ अभियान में इराक को सहयोग देने का आश्वासन दिया है।

मुगल बादशाह औरंगजेब पर मचा बवाल

पिछले दिनों लक्ष्मण उतेकर द्वारा निर्देशित फिल्म 'छावा' सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह फिल्म शिवाजी सावंत के बहुचर्चित उपन्यास 'छावा' पर आधारित है। इस फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज की वीरता, संघर्ष और बलिदान को दर्शाया गया है। इस फिल्म में मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा संभाजी महाराज की बर्बरतापूर्ण हत्या को भी दिखाया गया है। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद देशभर में औरंगजेब के खिलाफ जनाक्रोश भड़क उठा है। हैरानी की बात यह है कि देश के मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग और सेक्युलर गिरोह कट्टरपंथी औरंगजेब के समर्थन में मैदान में कूद पड़ा है।

औरंगाबाद टाइम्स (19 मार्च) के अनुसार नागपुर के महाल इलाके में दो वर्गों के बीच हुई जबर्दस्त झड़प के बाद हिंसा की ज्वाला भड़क उठी। इस हिंसा में 33 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनमें तीन डीसीपी भी शामिल हैं। दंगाइयों ने 12 बाइकें, कई कारें और एक जेसीबी को जला दिया। पुलिस ने इस संबंध में 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। नागपुर के 11 क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। समाचारपत्र के अनुसार नागपुर में हिंसा तब भड़क उठी जब शहर में यह अफवाह फैल गई कि इस्लाम की पवित्र किताब कुरान को जला दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने आरोप लगाया है कि ये दंगे पूर्वनियोजित थे। उन्होंने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। भाजपा के विधायक राम कदम ने इस हिंसा के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी को दोषी ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अबू आजमी ने औरंगजेब का महिमामंडन किया था। इसके कारण जनाक्रोश भड़क उठा। कांग्रेस की सांसद प्रणीति शिंदे ने आरोप लगाया है कि भाजपा गुजरात की तरह महाराष्ट्र को भी सांप्रदायिक राज्य में बदलना चाहती है।

उर्दू टाइम्स (18 मार्च) के अनुसार विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नागपुर के महाल इलाके में शिवाजी की प्रतिमा के सामने औरंगजेब की एक प्रतीकात्मक कब्र बनाई थी। इस पर एक हरी रंग की चादर लगाई गई थी,

कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि औरंगजेब जैसे जालिम को महिमामंडित करना गलत है। पाल ने मांग की कि राहुल गांधी को इमरान मसूद के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी ने भी औरंगजेब की जमकर तारीफ की थी। भाजपा व शिवसेना के नेताओं ने मांग की थी कि अबू आजमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और उन्हें फौरन गिरफ्तार किया जाए। इस विवाद पर महाराष्ट्र विधानसभा में भी भारी हंगामा हुआ था। इसके बाद अबू आजमी को पूरे सत्र के लिए महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित कर दिया गया था। बाद में अबू आजमी ने सफाई दी कि उनके कथन को गलत ढंग से पेश किया गया है।

जिस पर कलमा लिखा हुआ था। बाद में इस चादर को जला दिया गया। जब कलमा लिखे चादर को जलाए जाने की खबर शहर में फैली तो मुस्लिम नौजवान उत्तेजित हो गए और वे घटनास्थल पर पहुंच गए। यहां पर उनकी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ झड़प हुई। इस दौरान अनेक वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने बजरंग दल के तीन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। समाचारपत्र के अनुसार विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता छत्रपति संभाजीनगर के खुल्दाबाद में स्थित औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग कर रहे थे। इस संबंध में महाराष्ट्र के कई इलाकों में प्रदर्शन किए गए थे। कुछ नेताओं ने औरंगजेब की कब्र को तोड़ने की भी धमकी दी थी। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने घोषणा की थी कि औरंगजेब की विचारधारा को प्रोत्साहन देने वालों को सख्ती से कुचल दिया जाएगा। नागपुर के पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंघल ने बताया कि दंगाइयों का पता लगाया जा रहा है। इसके बाद दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

उर्दू टाइम्स (6 मार्च) के अनुसार कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी औरंगजेब की तारीफ की थी। इस पर भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने

औरंगाबाद टाइम्स (6 मार्च) के अनुसार उद्धव ठाकरे ने मांग की है कि अबू आसिम आजमी को देशद्रोह के आरोप में विधानसभा की सदस्यता से वंचित कर दिया जाए।

अखबार-ए-मशरिक (8 मार्च) के अनुसार उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा में कहा कि औरंगजेब चोर और लूटेरा था। उसे इतना सम्मान देने की क्या जरूरत है? उन्होंने पूछा कि क्या औरंगजेब की कब्र की जियारत करने वाले लोग उसके वंशज हैं? आदित्य ने कहा कि शिवाजी महाराज की सेना में अनेक मुसलमान थे। यहां तक कि उनके अंगरक्षक भी मुसलमान थे।

औरंगाबाद टाइम्स (18 मार्च) के अनुसार औरंगजेब की कब्र को हटाने के सवाल पर महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति में मतभेद पैदा हो गए हैं। एनसीपी (अजित पवार गुट) के नेता अमोल मिटकरी ने कहा है कि औरंगजेब की कब्र बहादुरी का सबूत है और उसे हटाने की मांग

करने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर कोई उसे तोड़ने का प्रयास करेगा तो हम उसका मुकाबला करेंगे। एनसीपी (शरद पवार गुट) की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को औरंगजेब की कब्र को तोड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह एक ऐतिहासिक स्मारक है और इसकी रक्षा करना सरकार की जिम्मेवारी है।

एतेमाद (19 मार्च) के अनुसार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने आरोप लगाया है कि नागपुर के दंगे पूर्वनियोजित थे। उन्होंने कहा कि उत्तेजित दंगाइयों की भीड़ ने कुछ चिन्हित घरों और दुकानों को अपना निशाना बनाया। उन्होंने पुष्टि की कि महाल इलाके में घास-फूस से औरंगेजब की एक प्रतीकात्मक कब्र बनाई गई थी, जिसे बाद में आग के हवाले कर दिया गया। इसके बाद शहर में यह अफवाह फैल गई कि इस अग्निकांड में कुछ धार्मिक सामग्री भी जलाई गई है। इस पर 300 से अधिक मुस्लिम नौजवानों ने इस घटना के खिलाफ विरोध प्रकट किया। पुलिस ने इन दंगाइयों को तितर-बितर करने के लिए हल्का लाठीचार्ज भी किया। इसके बाद हंसपुरी में लगभग 300 नकाबपोश लोगों ने पथराव किया और कुछ लोगों पर चाकू से हमले किए। तीसरी घटना भालदारपुरा चौक पर रात को घटी। यहां पर लगभग 100 लोगों की उत्तेजित भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। फडणवीस ने आरोप लगाया कि एक अस्पताल में तोड़फोड़ की गई और हिंदू देवी-देवताओं की प्रतिमाओं को जला दिया गया। इस हमले में पेट्रोल बम का भी इस्तेमाल किया गया। इसका सीधा मतलब है कि यह एक विशेष संप्रदाय को निशाना बनाने की सुनियोजित साजिश थी।

अवधनामा (6 मार्च) के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी से मांग की है कि वह औरंगजेब की प्रशंसा करने वाले अपने विधायक अबू आजमी को फौरन अपनी पार्टी से बाहर निकाल दे। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध किया कि वह अबू आजमी को उत्तर प्रदेश भिजवा दे ताकि उनका उचित इलाज किया जा सके। मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी के नेताओं से अनुरोध किया कि वे शाहजहां से संबंधित पुस्तक को विधानसभा की पुस्तकालय से मंगवाकर पढ़ें। योगी ने कहा कि शाहजहां ने अपने बेटे औरंगजेब से कहा था कि तुमसे तो बेहतर हिंदू हैं, जो जीते जी अपने बुजुर्ग माता-पिता की सेवा करते हैं और उनके मरने के बाद साल में एक बार श्राद्ध के माध्यम से अपने पूर्वजों को जल देते हैं। जबकि तुमने मुझे एक-एक बूंद जल के लिए तरसाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी सभ्य मुसलमान औरंगजेब के कारनामों पर गर्व महसूस नहीं कर सकता।

औरंगाबाद टाइम्स (19 मार्च) के अनुसार बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कहा है कि अगर महाराष्ट्र में किसी भी कब्र या मजार को क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई तो इससे वहां की शांति-व्यवस्था और भाईचारा खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने मांग की है कि नागपुर में सांप्रदायिकता भड़काने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि औरंगजेब की प्रशंसा करने वाले देश के गद्दार हैं। उन्होंने कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि औरंगजेब ने मराठा

साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने का प्रयास किया था। हमारे आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जो हिंदुत्व की भावना के प्रतिमूर्ति थे। जमात-ए-इस्लामी ने नागपुर में हुई हिंसा की निंदा की है। जमात-ए-इस्लामी ने आरोप लगाया है कि सांप्रदायिक ताकतें औरंगजेब की आड़ लेकर लोगों को मुसलमानों के खिलाफ भड़का रही हैं।

सियासत (18 मार्च) के अनुसार श्रीकृष्ण जन्मभूमि की वापसी हेतु अदालत में मुकदमा दायर करने वाले दिनेश शर्मा ने घोषणा की है कि जो व्यक्ति औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाएगा उसे 21 लाख रुपये का ईनाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने हमारे अनेक मंदिरों को ध्वस्त किया था। वह गद्दार था। उसकी कब्र को इस देश से बाहर कर देनी चाहिए। उसकी कब्र या तो पाकिस्तान में होनी चाहिए या फिर मक्का मदीना में।

औरंगाबाद टाइम्स (11 मार्च) के अनुसार ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) हिंदुत्व विचारधारा की कठपुतली बन गया है और वह पिछले 15 सालों से मुसलमानों के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है।

उर्दू अखबारों ने भी कट्टरपंथी औरंगजेब को महिमामंडित करने का अभियान छेड़ दिया है। इन अखबारों ने उसकी शान में कसीदे गढ़े हैं।

एतेमाद (9 मार्च) ने कहा है कि औरंगजेब टोपियां सिलकर अपना गुजारा करता था और वह सरकारी खजाने से एक भी पैसा नहीं लेता था। यही कारण है कि अपनी मौत से पहले औरंगजेब ने यह वसीयत की थी कि उसकी कब्र को कच्चा रखा जाए और उस पर मकबरा न बनाया जाए। समाचारपत्र ने दावा किया है कि कुछ सांप्रदायिक ताकतें औरंगजेब को बदनाम करने के उद्देश्य से उस पर हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने के मनगढ़ंत आरोप लगा रही हैं। जबकि सच्चाई यह है कि औरंगजेब ने अनेक हिंदू मंदिरों को जागीरें दी थी।

सियासत (5 मार्च) के अनुसार औरंगजेब ने मानसरोवर का क्षेत्र जीत कर उसे भारत में शामिल किया था। जब चीन के साथ भारत का सीमा विवाद हुआ तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रमाण के तौर पर औरंगजेब के फरमानों को पेश किया था।

हिंदुस्तान (9 मार्च) ने अपने एक लेख में दावा किया है कि हिंदूवादी लेखकों ने औरंगजेब को सुनियोजित तरीके से बदनाम किया है। हाल ही में दो विदेशी इतिहासकारों ने पुस्तकें प्रकाशित की हैं। इन पुस्तकों में यह दावा किया गया है कि औरंगजेब को बदनाम करने के लिए फर्जी कहानियां गढ़ी गई हैं। औरंगजेब एक सेक्युलर शासक था और उसके दरबार में हिंदू मनसबदार व सेनापति सबसे अधिक थे। औरंगजेब ने ब्राह्मणों, राजपूतों और मराठा मनसबदारों को जजिया कर से मुक्त किया था। उसने यह सुनिश्चित किया था कि प्रशासन गैर-मुसलमानों के साथ न्यायसंगत व्यवहार करे और उन्हें पूर्ण सुरक्षा प्रदान करे। इसके अतिरिक्त औरंगजेब ने रामायण का फारसी में अनुवाद करने वाले व्यक्ति को जागीर दी थी।

उर्दू टाइम्स (3 मार्च) के अनुसार औरंगजेब एक सूफी व्यक्ति था। वह भारतीय

इतिहास के महानतम बादशाहों में से एक है। मुगलों ने इस देश के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने देश में अनेक ऐसे स्मारक बनवाए, जिन्हें देखने के लिए दुनियाभर के लोग आज भी आ रहे हैं। औरंगजेब किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं था। उसने जनता के सभी वर्गों के साथ समान न्याय किया। औरंगजेब पर लगाया गया यह आरोप सरासर गलत है कि उसने हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया था। अगर उसने एकाध मंदिरों को गिराया भी तो उसका मूल कारण यह था कि ये स्थान अनैतिक गतिविधियों के केंद्र बने हुए थे। औरंगजेब ने कृषि के विकास पर विशेष ध्यान दिया। उसने किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था की और कृषि के विकास के लिए सरकारी सहायता देने की शुरुआत की। औरंगजेब देश के सबसे विद्वान बादशाहों में से एक था। वह फारसी और ब्रज भाषा का विद्वान था। औरंगजेब का निधन 3 मार्च 1707 को 90 साल की उम्र में हुआ था। तब उसके पास सिर्फ 88 रुपये थे, जो उसने कुरान लिखकर कमाए थे। उसी रुपये से उसका अंतिम संस्कार किया गया। दक्षिण के मशहूर सूफी संत शेख बुरहानुद्दीन की दरगाह में औरंगजेब की कच्ची कब्र बनाई गई थी।

कौमी तंजीम (10 मार्च) के अनुसार औरंगजेब देश का महानतम शासक था। उसने लगभग 50 सालों तक इस देश पर शासन किया। उसकी सल्तनत अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक और लद्दाख व तिब्बत से लेकर केरल तक फैली हुई थी। वह एक कुशल प्रशासक था। उसने मजहब और कौम को नजरअंदाज करके हर हिंदुस्तानी के कल्याण के लिए जीवनभर प्रयास किया। उसने धार्मिक शिक्षा के लिए देशभर में अनेक केंद्र स्थापित किए थे, जिनमें से कई केंद्र मंदिरों में थे। इन केंद्रों में हिंदुओं के लिए सरकारी खर्च पर शिक्षा की व्यवस्था की गई। औरंगजेब ने देश में भांग और चरस के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया था। उसने शराब पीने पर भी प्रतिबंध लगाया था। उसके शासनकाल में वेश्यावृत्ति को कानूनन रोक दिया गया। औरंगजेब ने शरीयत का पालन करते हुए अकबर और जहांगीर की गैर-शरई रिवाजों पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगर वह हिंदुओं व मंदिरों का विरोधी होता तो आज इस देश में एक भी हिंदू और एक भी मंदिर नहीं बचता।

मुंसिफ (17 मार्च) ने अपने एक लेख में आरोप लगाया है कि अंग्रेजों ने औरंगजेब जैसे शानदार और सेक्युलर शासक को बदनाम करने के लिए उसके खिलाफ तत्कालीन इतिहासकारों से झूठा इतिहास लिखवाया। समाचारपत्र ने लिखा है कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मोहम्मद अली जौहर के निर्देश पर आजमगढ़ के विख्यात उलेमा शिबली नोमानी ने मुगल बादशाह औरंगजेब पर कई पुस्तकें लिखी थीं। इन पुस्तकों में कहा गया है कि औरंगजेब एक सेक्युलर शासक था। उसने हिंदू और मुस्लिम विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की थी। नोमानी ने अपनी पुस्तक में औरंगजेब के 62 प्रमुख दरबारियों की सूची दी है, जिनमें से सभी हिंदू थे। समाचारपत्र ने लिखा है कि इन दिनों महाराष्ट्र में फिल्म 'छावा' की बहुत चर्चा है। यह एक झूठी फिल्म है और इसे मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने के लिए

बनाया गया है। समाचारपत्र ने दावा किया है कि संभाजी की हत्या करने का जो आरोप औरंगजेब पर लगाया गया है वह सरासर गलत है।

एतेमाद (19 मार्च) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि भगवा परिवार महाराष्ट्र में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का अभियान चला रहा है। इसके कारण नागपुर में सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। श्रीराम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के कारण भाजपा सत्ता में आई है। अब उसने महसूस किया है कि औरंगजेब की हिंदू दुश्मनी के मुद्दे को उठाकर अपने वोट बैंक को पक्का किया जाए। यही कारण है कि छत्रपति संभाजीनगर के खुल्दाबाद इलाके में स्थित औरंगजेब की कब्र पर राजनीति की जा रही है। हद तो यह है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने औरंगजेब को खलनायक करार देते हुए गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को भारत का सपूत कहना शुरू कर दिया है। उन्होंने बाबर के साथ-साथ औरंगजेब को भी आक्रांता करार दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि गिरिराज सिंह को देश के इतिहास की कोई जानकारी नहीं है। औरंगजेब विदेश से नहीं आया था, बल्कि वह गुजरात के एक गांव में पैदा हुआ था।

सियासत (19 मार्च) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि लंबे समय से नागपुर हिंसा की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही थी। इसकी शुरुआत औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद से हुई। किसी जमाने में भारत में फिल्में सामाजिक संदेश देने के लिए बनाई जाती थीं, लेकिन अब फिल्मों द्वारा राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। फिल्मों का सहारा लेकर समाज की एकता और समरसता को तार-तार किया जा रहा है। सरकार अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए सांप्रदायिकता की ज्वाला भड़का रही है। नागपुर में हुई हिंसा इसी अभियान का एक हिस्सा है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (19 मार्च) ने अपने संपादकीय में नागपुर में हुए दंगों के लिए सत्तारूढ़ दल को दोषी ठहराया है। समाचारपत्र ने कहा है कि नागपुर में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और उसके पुतले जलाए। इसी दौरान यह अफवाह फैल गई कि हिंदू संगठनों ने कुरान को भी आग लगाई है। इसका विरोध करने के लिए मुसलमानों की भारी भीड़ सड़क पर उतर आई। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया। इसके बाद नगर में दंगा भड़क उठा। हालांकि, सरकार कुरान जलाने की घटना को अफवाह बता रही है। जबकि मुसलमान यह दावा कर रहे हैं कि यह अफवाह नहीं, बल्कि हकीकत है।

उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस औरंगजेब के विरोध में खुलेआम उत्तेजक भाषण दे चुके हैं। उन्होंने यह धमकी दी थी कि औरंगजेब को महिमामंडित करने वालों को सख्ती से कुचल दिया जाएगा। जब सत्ता में बैठे हुए लोग इस तरह की मानसिकता रखते हों तो बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद से क्या आशा की जा सकती है? सरकार मुसलमानों के धार्मिक भावनाओं पर जानबूझकर कुठाराघात कर रही है।

जी हां, ये दंगे सुनियोजित थे और इसकी योजना भगवा संगठन के लोगों ने बनाई थी।

समाचारपत्र ने कहा है कि खुल्दाबाद स्थित औरंगजेब की कब्र से 500 किलोमीटर दूर नागपुर में विरोध प्रकट करना क्या सांप्रदायिक जहर घोलना नहीं था? सरकार ने इसे रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? हालांकि, सरकार ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई क्यों करती? स्वयं मुख्यमंत्री फडणवीस जलती आग में घी डाल रहे थे। उन्होंने यह बयान दिया कि उनकी सरकार औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकना चाहती है। जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री स्वयं ऐसी बात कहने लगे तो उस राज्य को बदनामी और दंगों से कौन बचा सकता है? भाजपा के सभी छोटे-बड़े नेता औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकने की मांग करने लगे। इस पर गोदी मीडिया ने ऐसा माहौल बना दिया कि महाराष्ट्र में अगर कोई सबसे बड़ी समस्या है तो वह औरंगजेब की कब्र है और उसकी कब्र हटते ही महाराष्ट्र की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।

समाचारपत्र ने कहा है कि कलमा लिखे चादर को भी आग लगाने के पुख्ता सबूत हैं।

उर्दू टाइम्स (19 मार्च) ने अपने संपादकीय में कहा है कि औरंगजेब की शख्सियत को लेकर महाराष्ट्र में जो खेल खेला जा रहा था उसका परिणाम आखिरकार सामने आ गया है। नागपुर में पिछले 100 सालों में कोई दंगा नहीं हुआ था। अब वहां पर भी सांप्रदायिक दंगों की आग भड़क उठी है। राज्य के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस नागपुर से ही विधायक हैं। केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। ऐसी स्थिति में दंगे भड़कना चिंताजनक है। अब मुख्यमंत्री यह कह रहे हैं कि यह दंगा सुनियोजित साजिश का नतीजा है। पिछले कई दिनों से बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और अन्य भगवा संगठन औरंगजेब के नाम पर शहर में उत्तेजना पैदा कर रहे थे। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक ने विवादित फिल्म 'छावा' का प्रचार किया था। इसी तरह से फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' में भी मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काने का प्रयास किया गया था। सच्चाई यह है कि भगवा ब्रिगेड ने नागपुर में कलमा लिखे चादर को सार्वजनिक तौर पर आग के हवाले किया और इसका वीडियो वायरल कर दिया ताकि माहौल बिगड़े। फडणवीस का यह कहना बिल्कुल सही है कि ये दंगे सुनियोजित थे।

कौमी तंजीम (19 मार्च) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र के नागपुर में जो कुछ हुआ वह जनता की आंखें खोलने के लिए काफी है। नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय भी है। वहां पर हमेशा शांति का माहौल रहा है। दक्षिणपंथी संगठनों ने औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए जानबूझकर मुस्लिम बहुल क्षेत्र महाल में प्रदर्शन किया। वहां पर मुसलमानों के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक नारे लगाए गए। कलमा लिखे चादर तक को आग लगा दी गई। इससे लोग उत्तेजित हो गए, क्योंकि यह सब सुनियोजित तरीके से किया गया था। मुसलमानों के खिलाफ हजारों प्रदर्शनकारी पहले से ही तैयार किए गए थे। इन प्रदर्शनकारियों को

नागपुर के बाहर से लाया गया था। इन्होंने मोमिनपुरा इलाके में पथराव शुरू किया। इसके कारण हालात और खराब हो गए। हालांकि, पुलिस ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। इसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए।

मुंसिफ (7 मार्च) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि देश की सत्ता पर काबिज भाजपा इस देश के पुराने इतिहास को मिटाकर एक नया इतिहास गढ़ना चाहती है, जो समाज के कुछ वर्गों के खिलाफ घृणा पर आधारित है। इसकी मदद से वह शताब्दियों तक इस देश पर शासन करना चाहती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस संदर्भ में स्पष्ट शब्दों में बार-बार संदेश दे चुके हैं। एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों से मुस्लिम शासकों से जुड़े अध्यायों को हटाया जा रहा है और उन लोगों को नायक बनाकर पेश किया जा रहा है, जिनका देश के स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं था। हां, उन्होंने हिंदुत्व का प्रचार-प्रसार जरूर किया था और इस देश की जनता को सांप्रदायिक आधार पर बांटा था। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि पुराने मुस्लिम शासकों को जालिम और हिंदू विरोधी करार दिया जा रहा है।

हिंदुस्तान (6 मार्च) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि सरकार मुसलमानों के खिलाफ देशभर में अभियान चला रही है। इस संबंध में कुछ खबरों पर प्रकाश डालना जरूरी है। पहली खबर का संबंध महाराष्ट्र से है। औरंगजेब पर अबू आसिम आजमी के बयान की आड़ लेकर उनके खिलाफ न सिर्फ मुकदमा ही दर्ज किया गया है, बल्कि उन्हें विधानसभा के पूरे सत्र से निलंबित कर दिया गया है। जबकि दूसरी खबर दिल्ली से है। पिछले दिनों सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमके फैजी को झूठे आरोपों में दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। एसडीपीआई का संबंध पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से है। इससे पहले पॉपुलर फ्रंट को भी झूठे आरोपों के आधार पर निशाना बनाया गया था। तीसरी खबर संभल से है। एक न्यायाधीश ने संभल की शाही जामा मस्जिद को विवादित ढांचा करार दिया है। इन तीनों खबरों से एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इस समय भगवा शासकों के निशाने पर सिर्फ मुसलमान हैं।

रोजनामा सहारा (19 मार्च) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य भगवा संगठन अर्धसैनिक दस्ते बन चुके हैं, जो मुसलमानों के कत्लेआम की साजिश रच रहे हैं। मुसलमानों की धार्मिक पहचान को मिटाने की कोशिश की जा रही है और सरकार इस घिनौने खेल को मूकदर्शक बनकर देख रही है। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि नागपुर में जानबूझकर कलमा लिखे चादर को जलाया गया। जब मुसलमानों ने इसका विरोध किया तो उन्हें बेरहमी से पीटा गया और अब उन्हें अंधाधुंध गिरफ्तार करके प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर सरकार वास्तव में निष्पक्ष थी तो उसने औरंगजेब की कब्र पर हमला करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की?

कर्नाटक के सरकारी ठेकों में मुसलमानों को आरक्षण

औरंगाबाद टाइम्स (16 मार्च) के अनुसार कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम ठेकेदारों को सरकारी ठेकों में चार प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है। इस संदर्भ में विधानसभा के अगले सत्र में सदन में एक विधेयक पेश किया जाएगा। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कर्नाटक सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि भाजपा इस फैसले का विरोध करेगी, क्योंकि सरकारी ठेकों में आरक्षण असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन धार्मिक आधार पर आरक्षण देना असंवैधानिक है। 7 मार्च को विधानसभा में बजट पेश करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि सार्वजनिक निर्माण कार्यों के ठेकों में श्रेणी-2बी के तहत मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। इसका एकमात्र लक्ष्य राज्य के मुसलमानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है।

इस बजट में कर्नाटक के सभी मस्जिदों के इमामों को छह-छह हजार रुपये मासिक भत्ता देने का फैसला किया गया है। इसके अतिरिक्त इस वित्त वर्ष में वक्फ संपत्तियों और कब्रिस्तानों के विकास पर 150 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उर्दू स्कूलों के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये का भी प्रावधान किया गया है। जबकि अल्पसंख्यकों से संबंधित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और पूर्व मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने राज्य सरकार के इस फैसले का विरोध किया है।

सियासत (18 मार्च) के अनुसार भाजपा ने कर्नाटक सरकार के इस फैसले का विरोध करने की घोषणा की है। कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर. अशोक ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार मुसलमानों का तुष्टिकरण कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को निशाना बनाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मुस्लिम टोपी पहनते हैं और टीपू सुल्तान की जयंती मनाते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने मस्जिदों के इमामों को भी भत्ता देने की घोषणा की है। अशोक ने कहा कि भाजपा ने डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया था। इसके अतिरिक्त केंद्र की मोदी सरकार ने नजमा हेपतुल्ला और आरिफ मोहम्मद खान को भी राज्यपाल बनाया, इसलिए यह आरोप गलत है कि भाजपा मुसलमानों के खिलाफ है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (9 मार्च) ने कहा है कि भाजपा ने कर्नाटक सरकार के बजट की

आलोचना की है। हालांकि, यह बजट चार लाख करोड़ रुपये से अधिक का है। इस बजट में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए सिर्फ 4500 करोड़ रुपये का ही प्रावधान किया गया है, जो कुल बजट का एक प्रतिशत से भी कम है। जबकि राज्य में अल्पसंख्यकों की आबादी 20 प्रतिशत से भी अधिक है। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि भाजपा संकीर्ण मानसिकता पर आधारित राजनीति का प्रदर्शन कर रही है। भाजपा ने कर्नाटक सरकार के इस बजट को 'हलाल बजट' और 'पाकिस्तानी व इस्लामी बजट' करार दिया है। भाजपा की नीति प्रारंभ से ही मुस्लिम विरोधी रही है। सत्ता में आने के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधित लगभग सभी योजनाओं को या तो खत्म कर दिया है या उनकी धनराशि में भारी कटौती की है। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणापत्र में अल्पसंख्यकों के लिए बड़े-बड़े वायदे किए थे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का विशेष फंड बनाया जाएगा, लेकिन इस बजट में इस फंड का कोई उल्लेख नहीं है। समाचारपत्र ने अल्पसंख्यकों को सुझाव दिया है कि वे अपने जायज अधिकारों के लिए संघर्ष करें।

सियासत (8 मार्च) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि भाजपा मुसलमानों को उनके अधिकारों से वंचित करती आ रही है। अगर कोई अन्य पार्टी मुसलमानों के साथ न्याय करने की कोशिश करती है तो भाजपा उसे भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।

हिंदुस्तान (17 मार्च) ने अपने संपादकीय में कहा है कि दुनियाभर के अल्पसंख्यक समुदायों में से भारतीय मुसलमान सबसे ज्यादा उत्पीड़न के शिकार और वंचित हैं। वे हर दृष्टि से समाज के अन्य वर्गों से पिछड़े हुए हैं। मुसलमान काफी समय से यह मांग करते रहे हैं कि उनकी जनसंख्या के अनुपात से उनके विकास के लिए बजट में धनराशि की व्यवस्था होनी चाहिए। कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों की जायज मांगों को देखते हुए सच्चर कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में विभिन्न मंत्रालयों में मुसलमानों के लिए अलग धनराशि की व्यवस्था करने पर जोर दिया था, लेकिन कांग्रेस सरकार के खात्मे के बाद यह मामला हमेशा के लिए खत्म हो गया। मुसलमानों के लिए आरक्षण का मामला समय-समय पर चर्चा का विषय बनता रहा है। मुस्लिम विरोधी भाजपा बहुसंख्यक समुदाय के वोटों के लिए इसका विरोध करती रही है।

सियासत (16 मार्च) ने अपने संपादकीय में कहा है कि कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यह स्पष्ट कर चुके हैं कि राज्य के सभी अल्पसंख्यकों को चार प्रतिशत का आरक्षण मिलेगा। इसके बावजूद भाजपा अपने बहुसंख्यक मतदाताओं को गुमराह करने के लिए इसका विरोध कर रही है। भाजपा की नीतियां हमेशा से मुस्लिम विरोधी रही हैं। भाजपा शासित राज्य सरकारों में अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधित योजनाओं को खत्म किया जा रहा है, क्योंकि भाजपा का लक्ष्य मुसलमानों को हमेशा के लिए पंगु और पिछड़ा बनाए रखना है।

अखबार-ए-मशरिक (19 मार्च) ने अपने संपादकीय में दावा किया है कि जिस देश पर मुसलमानों ने एक हजार साल तक शासन किया है उसी देश में मुसलमान राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं। सच्चर कमेटी ने उनके उत्थान के लिए जो सिफारिशें की थी उसे मोदी सरकार ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है।

जम्मू–कश्मीर में दो पृथकतावादी संगठनों पर प्रतिबंध

चट्टान (12 मार्च) के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गैर-कानूनी गतिविधियों और आतंकवाद को प्रोत्साहन देने के आरोप में जम्मू-कश्मीर के दो पृथकतावादी संगठनों पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार मीरवाइज उमर फारूक के नेतृत्व वाले संगठन अवामी एक्शन कमेटी और मसरूर अब्बास अंसारी के नेतृत्व वाले संगठन जम्मू-कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर अगले पांच सालों के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि अवामी एक्शन कमेटी गैर-कानूनी गतिविधियों में लिप्त है, जो देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए हानिकारक है। इस संगठन से संबंधित लोग जम्मू-कश्मीर को देश से अलग करने की गतिविधियों और राष्ट्र विरोधी दुष्प्रचार में लिप्त रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और राज्य सरकार से संबंधित एजेंसियां मीरवाइज उमर फारूक और अन्य कई लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर चुकी हैं। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़े लोग पृथकतावादी गतिविधियों को प्रोत्साहन देते रहे हैं। इस संगठन पर जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने के एजेंडे को प्रोत्साहन देने हेतु धनराशि इकट्ठा करने का भी आरोप है।

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने संवाददाताओं को बताया कि केंद्र सरकार ने इन दोनों संगठनों पर प्रतिबंध लगाने हेतु राज्य सरकार से कोई मशवरा नहीं किया है और न ही इस संबंध में हमें विश्वास में लिया गया है। उन्होंने कहा कि मैं केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ हूं। अब्दुल्ला ने कहा कि अवामी एक्शन कमेटी के प्रमुख मीरवाइज उमर फारूक कश्मीर के इस्लामिक विद्वान हैं। जबकि जम्मू-कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख शिया नेता मसरूर अब्बास अंसारी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने और पृथकतावादी संगठनों के उन्मूलन की केंद्र सरकार की नीति के तहत इन दोनों संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया है।

चट्टान (14 मार्च) के अनुसार केंद्र सरकार ने मीरवाइज उमर फारूक को उनके घर में नजरबंद कर दिया है। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने फारूक की नजरबंदी की आलोचना की है। उन्होंने केंद्र सरकार के इस फैसले को लोकतंत्र के खिलाफ बताया है।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पिछले पांच सालों में जम्मू-कश्मीर के लगभग एक दर्जन पृथकतावादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। 2019 में यूएपीए कानून के तहत जमात-ए-इस्लामी, जम्मू-कश्मीर पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके एक महीने बाद एक अन्य पृथकतावादी संगठन जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। अक्टूबर 2023 में शब्बीर अहमद शाह के नेतृत्व वाले संगठन जम्मू-कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (जेकेडीएफपी) पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके दो महीने बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मसर्रत आलम के संगठन मुस्लिम लीग और तहरीक-ए-हुर्रियत को भी प्रतिबंधित संगठन घोषित किया। गृह मंत्रालय ने 28 फरवरी 2024 को जम्मू-कश्मीर मुस्लिम कांफ्रेंस (सुमजी गुट) और जम्मू-कश्मीर मुस्लिम कांफ्रेंस (भट गुट) पर भी प्रतिबंध लगा दिया। 16 मार्च 2024 को जम्मू-कश्मीर पीपुल्स लीग और जम्मू-कश्मीर पीपुल्स फ्रीडम लीग से संबंधित चार गुटों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया।

उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में ईसाइयत का प्रसार

औरंगाबाद टाइम्स (2 मार्च) के अनुसार अब ईसाई मिशनरी आर्थिक रूप से कमजोर मुसलमानों का धर्मांतरण करवा रहे हैं। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2025 में सीतापुर जिले के हरगांव, सिधौली के कटसरिया और कमलापुर के एक दर्जन मुस्लिम परिवारों ने ईसाई धर्म अपनाया है। इसी तरह से अंबेडकर नगर और सुल्तानपुर के 10 गांवों में मुस्लिम नट परिवारों ने इस्लाम छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया है। इन गांवों में मस्जिदों को गिराजघरों में बदलने की भी खबर मिली है। जानकार सूत्रों के अनुसार बलरामपुर और श्रावस्ती के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले पिछड़े वर्ग के मुसलमानों में भी ईसाई धर्म का तेजी से प्रसार हो रहा है। समाचारों के अनुसार धर्मांतरण करने वाले मुस्लिम परिवारों को ईसाई मिशनरियों की ओर से न केवल हर महीने आर्थिक सहायता ही उपलब्ध करवाई जा रही है, बल्कि उनके बच्चों की शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं का भी प्रबंध किया जा रहा है। नेपाल की सीमा से सटे बलरामपुर जिले के असलम खान का कहना है कि पहले उनका परिवार आर्थिक कठिनाईयों का शिकार था, लेकिन अब मिशनरियों की सहायता से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। उनके बच्चों को

अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में भर्ती करवाया गया है।

साल 2022 में एसटीएफ ने फतेहपुर में धर्मांतरण का बड़ा खुलासा किया था। इस संबंध में विदेशों से 60 करोड़ रुपये से ज्यादा की फंडिंग का मामला प्रकाश में आया था। बताया जाता है कि प्रशांत मसीह नामक एक व्यक्ति ने मुसलमानों को ईसाई बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब एटीएस उसके बैंक खातों और आय के अन्य स्रोतों की जांच कर रही है। इसके अतिरिक्त अवध क्षेत्र में धर्मांतरण कराने में डेविड अस्थाना नामक एक पादरी की सक्रिय भूमिका रही है। गुप्तचर सूत्रों के अनुसार ईसाई मिशनरियों द्वारा गोरखपुर मंडल के महाराजगंज जिले में व्यापक पैमाने पर धर्मांतरण कराया जा रहा है। यहां के जोगियाबारी इलाके में सैकड़ों करवाल परिवारों ने ईसाई धर्म अपना लिया है। इसी तरह से मथुरानगर स्थित पूरा करवाल टोला ईसाई धर्म अपना लिया है।

मध्य प्रदेश में धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा

अखबार-ए-मशरिक (9 मार्च) के अनुसार मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा देने का फैसला किया है। राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में भाषण देते हुए कहा कि इस संबंध में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में आवश्यक संशोधन किया जा रहा है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मुख्यमंत्री की इस घोषणा की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि संविधान में हर व्यक्ति को अपना मनचाहा धर्म अपनाने की पूरी छूट है। अगर राज्य सरकार कोई ऐसा निर्णय करती है तो वह संविधान का खुला उल्लंघन होगा।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (12 मार्च) ने अपने संपादकीय में कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार धर्मांतरण कानून में एक महत्त्वपूर्ण संशोधन करके धर्मांतरण करवाने के आरोपियों को मौत की सजा देने की व्यवस्था कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो मध्य प्रदेश धर्मांतरण कराने के आरोपी को मृत्युदंड देने वाला देश का पहला राज्य होगा। समाचारपत्र ने कहा है कि मध्य प्रदेश में धर्मांतरण से संबंधित वर्तमान कानून के तहत धर्मांतरण कराने के आरोपी को अधिकतम 10 साल जेल की सजा दी जा सकती है। सवाल यह पैदा होता है कि आखिर क्या कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार धर्मांतरण से संबंधित कानून को इतना कड़ा कर रही है? समाचारपत्र ने कहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार इस देश में कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर सकता है और धर्मांतरण का अभियान चला सकता है, लेकिन संविधान में की गई यह व्यवस्था भाजपा के नेताओं को पसंद नहीं है। अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए देश के नौ राज्यों में कानून मौजूद है। इनमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। अब राजस्थान और महाराष्ट्र भी इस दौड़ में शामिल हो गए हैं।

उल्लेखनीय है कि नवंबर 2020 में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए एक कानून बनाने का फैसला किया था। इस लक्ष्य से एक अध्यादेश भी जारी किया गया था। बाद में इस अध्यादेश को विधानसभा से पारित भी करवाया गया था। सरकारी सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2020-2024 के दौरान इस कानून के तहत 835 मुकदमे दर्ज किए गए और अवैध धर्मांतरण के आरोप में 1682 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 124 लोगों को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया।

वहीं, मध्य प्रदेश में पिछले चार सालों में 200 से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण कानून के तहत जबरन धर्मांतरण कराने वालों के लिए पांच साल की कैद के साथ-साथ 25 हजार रुपये जुर्माने का भी प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अगर कोई व्यक्ति नाबालिग, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोगों का धर्मांतरण कराता है तो उसके लिए दो साल से लेकर 10 साल तक की कैद के साथ-साथ 50 हजार रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म छिपाकर शादी करता है तो उसे तीन वर्ष से लेकर 10 वर्ष की कैद की सजा दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त उस पर 50 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

पाकिस्तान में बलूच विद्रोहियों द्वारा ट्रेन अपहरण

उर्दू टाइम्स (12 मार्च) के अनुसार पाकिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) के लड़ाकों ने जाफर एक्सप्रेस का अपहरण कर लिया और उसमें सवार 450 यात्रियों को 24 घंटे तक बंधक बनाए रखा। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दावा किया है कि सेना ने इस ट्रेन को बंधक बनाने वाले सभी 33 हमलावरों को मौत के घाट उतार दिया है। उन्होंने यह स्वीकार किया कि हमलावरों ने लगभग 40 लोगों की हत्या की है, जिनमें 21 यात्री और बाकी पुलिस और सेना के कर्मचारी थे। चौधरी ने संवाददाताओं को बताया कि सेना ने अपनी कार्रवाई के दौरान 190 यात्रियों को रिहा करवा लिया था। दूसरी ओर, बीएलए ने एक प्रेस विज्ञप्ति में दावा किया है कि इस हमले में सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। इस प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि बीएलए के लड़ाकों ने जाफर एक्सप्रेस में यात्रा करने वाले बलूच नागरिकों, महिलाओं और बच्चों को पहले ही मुक्त कर दिया था। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता का यह बयान बेबुनियाद है कि इन यात्रियों को सेना द्वारा मुक्त कराया गया है।

बीएलए के प्रवक्ता ने दावा किया कि इस ट्रेन को अपहरण करने के बाद बीएलए ने पाकिस्तान सरकार से मांग की थी कि वह जेलों में बंद सभी बलूच स्वतंत्रता सेनानियों और लड़ाकों को रिहा कर दे, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने इन कैदियों को रिहा नहीं किया। इसके बाद बीएलए ने इस ट्रेन में बंधक बनाए गए 154 लोगों की हत्या कर दी, जिनमें से अधिकांश का संबंध पाकिस्तानी सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों से था।

एतेमाद (13 मार्च) के अनुसार पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दावा किया है कि सेना की कार्रवाई के दौरान किसी भी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि बलूच विद्रोहियों ने एक आत्मघाती हमलावर को यात्रियों के बीच बैठा रखा था और यह धमकी दी थी कि अगर सेना ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की तो यह आत्मघाती हमलावर स्वयं को विस्फोट से उड़ा

लेगा, जिससे बंधक बनाए गए यात्री भी मारे जाएंगे। चौधरी ने कहा कि पाकिस्तानी सेना के कमांडो दस्ते ने बड़ी ही सफाई से इस आत्मघाती हमलावर को अपनी गोलियों का निशाना बनाया ताकि वह धमाका करके यात्रियों की जान खतरे में न डाल सके। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तानी वायुसेना, पाकिस्तानी थलसेना, फ्रंटियर कांस्टेबुलरी और एसएसजी ने भाग लिया था। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने दावा किया है कि हमलावर सैटेलाइट फोन के जरिए अफगानिस्तान में बैठे हुए अपने आकाओं से संपर्क साधे हुए थे और वे उनके निर्देशों का पालन कर रहे थे। बीबीसी के अनुसार शवों को दफनाने के लिए 200 ताबूत क्वेटा से घटनास्थल पर एक विशेष ट्रेन से भेजे गए थे।

मुंसिफ (14 मार्च) के अनुसार जाफर एक्सप्रेस को हाइजैक किए जाने के सवाल पर पाकिस्तान की संसद में भारी हंगामा हुआ। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही है और देश में आतंकवादी घटनाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है। विपक्ष के नेता उमर अयूब खान ने आरोप लगाया कि क्या गुप्तचर एजेंसियां सो रही थीं, जो आतंकवादियों की योजना के बारे में किसी भी तरह की सूचना देने में विफल रही हैं।

एक अन्य समाचार के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अचानक बलूचिस्तान का दौरा किया। उनके साथ उप प्रधानमंत्री मुहम्मद इशाक डार के अतिरिक्त 12 अन्य मंत्री भी थे। शहबाज शरीफ ने संवाददाताओं के साथ बातचीत करते हुए इस घटना के पीछे दो पड़ोसी देशों का हाथ होने का आरोप लगाया है।

पाकिस्तानी मीडिया **जियो न्यूज** (15 मार्च) के अनुसार पाकिस्तानी सेना कुछ चुनिंदा पत्रकारों को हेलीकॉप्टर से क्वेटा से बोलन लेकर गई थी। बीएलए ने बोलन इलाके में क्वेटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को अपना निशाना बनाया था। संवाददाताओं के अनुसार हमलावरों ने पहले रेल की पटरी को उड़ाया और बाद में उन्होंने ट्रेन के इंजन पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। ट्रेन के रूकने के बाद हमलावर ट्रेन के नौ डिब्बों में घुस गए और वे यात्रियों के पहचान पत्र देखने लगे। यात्रियों को पांच समूहों में बांटा गया। एक समूह में बलूच, दूसरे में सिंधी, तीसरे में पंजाबी, चौथे में पुलिसकर्मी और पांचवें में सैनिक थे। पत्रकारों को ट्रेन की बोगियों में जाने की अनुमति नहीं दी गई। पत्रकारों का कहना है कि ट्रेन की इन बोगियों के बाहर भारी मात्रा में खून बिखरे पड़े थे और चारों तरफ सड़ते हुए शवों की बदबू आ रही थी। पत्रकारों ने लगभग दो दर्जन शवों को आसपास के क्षेत्रों में पड़े हुए देखा। महबूब हुसैन नामक एक यात्री ने दावा किया कि हमलावरों ने इस हमले में लगभग 100 पाकिस्तानी सैनिकों, फ्रंटियर कोर के जवानों और पुलिसकर्मियों की हत्या की है। उन्होंने यह भी बताया कि हमलावरों ने आसपास की पहाड़ियों पर अपने अड्डे जमा रखे थे। जबकि लगभग 100 हमलावरों ने ट्रेन को चारों तरफ से घेर रखा था।

एक अन्य यात्री जाहिद हुसैन ने संवाददाताओं को बताया कि हमलावरों ने लगभग 145-150 बलूच नागरिकों, वृद्ध व्यक्तियों, महिलाओं और बच्चों को मुक्त कर दिया था। ये यात्री पैदल चलकर मछ रेलवे स्टेशन पर पहुंचे।

इसके बाद पाकिस्तान की फ्रंटियर फोर्स ने उन्हें क्वेटा तक भेजने का प्रबंध किया। एक अन्य यात्री ने दावा किया कि इस हमले में 150-200 लोग मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि हमलावरों ने पाकिस्तानी सैनिकों, पुलिसकर्मियों और फ्रंटियर कोर के कर्मचारियों को चुन-चुनकर अपना निशाना बनाया, जो ईद मनाने के लिए बलूचिस्तान से पंजाब स्थित अपने घर जा रहे थे।

इंकलाब (15 मार्च) के अनुसार भारत सरकार और अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ताओं ने पाकिस्तान सरकार के इस आरोप का खंडन किया है कि ट्रेन के अपहरण के पीछे उनकी किसी एजेंसी का हाथ है। इन दोनों देशों के प्रवक्ताओं ने दावा किया कि पाकिस्तान सरकार आतंकवाद से निपटने में विफल रही है, इसलिए अब वह विदेशी सरकारों को अपना निशाना बना रही है।

रोजनामा सहारा (17 मार्च) के अनुसार बीएलए ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना के एक काफिले पर किए गए हमले में 90 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। बीएलए की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार बीएलए के मजीद और फतेह ब्रिगेड के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के एक काफिले पर हमला करके आठ बसों को तबाह कर दिया। जबकि पाकिस्तानी पुलिस ने दावा किया है कि इस हमले में सिर्फ पांच पाकिस्तानी सैनिक ही मारे गए हैं। बीएलए ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि यह हमला बलूचिस्तान के नुश्की इलाके में किया गया है।

अखबार-ए-मशरिक (16 मार्च) के अनुसार पाकिस्तान ने ट्रेन हमले के सिलसिले में भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दावा किया है कि इस हमले के पीछे भारत का हाथ है और वह बलूचिस्तान व खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए फंडिंग कर रहा है। पाकिस्तान ने यह भी दावा किया है कि भारतीय गुप्तचर एजेंसी अफगानिस्तान सरकार के सहयोग से इन आतंकवादी गतिविधियों का संचालन कर रही है। समाचारपत्र ने दावा किया है कि पाकिस्तान अब जवाबी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है और वह किसी भी समय अफगानिस्तान पर हमला कर सकता है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (17 मार्च) के अनुसार पाकिस्तानी सेना की एक प्रेस विज्ञप्ति में यह दावा किया गया है कि पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मियों ने खैबर पख्तूनख्वा में हुए दो अलग-अलग ऑपरेशन में नौ आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया है। सेना ने यह कार्रवाई मोहमंद और डेरा इस्माइल खान में की है। मोहमंद में किए गए एक ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के एक ठिकाने पर छापा मारा और वहां पर हुई सशस्त्र मुठभेड़ में दो पाकिस्तानी सैनिक और सात आतंकवादी मारे गए। जबकि डेरा इस्माइल खान में आतंकवादियों ने एक पुलिस चौकी पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में सैनिकों ने दो आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया।

पाकिस्तानी अखबार **जंग** (15 मार्च) के अनुसार प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-इस्लाम के संस्थापक मुफ्ती मुनीर शाकिर एक बम धमाके में मारे गए हैं। उर्मुर थाने के एसएचओ नूर मोहम्मद ने बताया कि मुफ्ती मुनीर के मस्जिद में दाखिल होते ही वहां पर रखा हुआ बम रिमोट कंट्रोल से

फट गया। पेशावर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मसूद अहमद ने बताया कि मुफ्ती मुनीर ने दो सप्ताह पूर्व पुलिस को यह सूचना दी थी कि उन्हें एक इस्लामिक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के खुरासान विंग की ओर से मारने की धमकी दी जा रही है। इसके बाद उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई थी। मुफ्ती मुनीर का संबंध बंगाश कबीले से था। उन्होंने 2004 में लश्कर-ए-इस्लाम नामक एक अतिवादी संगठन की नींव रखी थी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने मुफ्ती मुनीर की हत्या की निंदा की है। उन्होंने कहा कि मुफ्ती मुनीर देवबंदी विचारधारा से संबंधित थे।

चट्टान (8 मार्च) के अनुसार वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में पाकिस्तान चौथे स्थान से दूसरे स्थान पर आ गया है। दुनिया में आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश बुर्किना फासो है। इसके बाद पाकिस्तान का स्थान आता है। वहीं, सीरिया तीसरे स्थान पर है। पाकिस्तान में 2023 की तुलना में 2024 में आतंकवाद की घटनाओं में 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हमले बीएलए द्वारा किए गए हैं। दूसरे स्थान पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) है और तीसरे स्थान पर बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है। विश्लेषकों का कहना है कि इराक और सीरिया जैसे देशों में आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई है।

पाकिस्तान में नमाज पढ़ने पर 100 अहमदिया गिरफ्तार

चट्टान (4 मार्च) के अनुसार रमजान के दौरान पाकिस्तान सरकार ने अहमदिया मुसलमानों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। हाल ही में सियालकोट पुलिस ने एक मस्जिद में जुमा की नमाज पढ़ने वाले 23 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। डस्का के रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस में यह शिकायत दर्ज कराई थी कि अहमदिया संप्रदाय के लोग मस्जिदों में घुसकर जुमे की नमाज अदा कर रहे हैं। यह पाकिस्तान के संविधान का खुला उल्लंघन है। इस पर पुलिस ने इस्लाम के अपमान के कानून की धारा के तहत मुकदमा दर्ज करके अहमदिया संप्रदाय के 23 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जबकि फैसलाबाद जिले में 40 अहमदिया मुसलमानों को नमाज पढ़ने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने गुंजरावाल और शेखूपुरा में भी क्रमशः 10 और 12 अहमदिया मुसलमानों को हिरासत में लिया है। इसके अतिरिक्त झंग में भी तीन अहमदियों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग एक मस्जिद में अरबी भाषा में खुतबा (प्रवचन) दे रहे थे।

एक पुलिस अधिकारी अनवर बाबर के अनुसार पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों को गैर-मुस्लिम घोषित किया जा चुका है। इस संबंध में जुल्फिकार अली भुट्टो के शासनकाल में पाकिस्तान के संविधान में संशोधन किया गया था। इस संशोधन के अनुसार कोई भी अहमदिया किसी मस्जिद में न तो नमाज पढ़ सकता है और न ही खुतबा दे सकता है। पाकिस्तानी अखबार 'जंग' के अनुसार सरगोधा जिले में एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के आरोप में 23 अहमदियों के खिलाफ

मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। पाकिस्तान में जमात-ए-अहमदिया के प्रवक्ता आमिर महमूद का कहना है कि अहमदियों को उनके धार्मिक उपासना से रोकना पाकिस्तान के संविधान व इस्लामिक नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे पाकिस्तान में अहमदियों को मस्जिदों में दाखिल होने से रोका जा रहा है और उन्हें शवों को कब्रिस्तानों में दफनाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कट्टरपंथियों के दबाव के कारण पाकिस्तान सरकार अहमदियों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है।

दूसरी ओर, पाकिस्तान उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष ताहिर महमूद अशरफी का कहना है कि पाकिस्तान का संविधान, कानून और मजहब-ए-इस्लाम यह अनुमति नहीं देता है कि कोई गैर-मुस्लिम इस्लामी तौर तरीके अपनाए। उन्होंने कहा कि संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि अहमदियों को मस्जिदों में नमाज पढ़ने का अधिकार नहीं है। वे अपने अलग उपासना स्थलों और कब्रिस्तानों का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। पाकिस्तान जमात-ए-अहमदिया के एक अन्य नेता राशिद अहमद ने आरोप लगाया है कि इस वर्ष कट्टरपंथियों ने अहमदियों की 51 कब्रों में तोड़फोड़ की है। जबकि उग्र भीड़ ने अहमदियों के पांच उपासना स्थलों को भी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने शिकायत की कि कट्टरपंथी तत्व अहमदियों का सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार कर रहे हैं।

हिंदुस्तान (16 मार्च) के अनुसार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट (एमक्यूएम) के संस्थापक अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान के विभिन्न नगरों में अहमदियों की दुकानों और उनके उपासना स्थलों पर हमलों की निंदा की है। उन्होंने पाकिस्तानी जनता से अपील की है कि वे कट्टरपंथी मौलवियों के इस अभियान का हिस्सा न बनें। पाकिस्तान में धार्मिक उन्माद एक सोची समझी साजिश के तहत फैलाया जा रहा है। अहमदियों का जीवन खतरे में है। उनकी महिलाओं की बेइज्जती की जा रही है। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि अगर पाकिस्तान सरकार पहले ही संविधान में संशोधन करके अहमदियों को गैर-मुस्लिम घोषित कर चुकी है तो फिर उनका उत्पीड़न क्यों किया जा रहा है? उन्होंने कहा कि अगर आप किसी व्यक्ति पर सिर्फ इसलिए हमला करते हैं कि वह हिंदू, ईसाई, यहूदी या अहमदिया है, तो यह रसूल और कुरान की शिक्षाओं के खिलाफ है।

पृष्ठभूमि : पाकिस्तान और भारत दोनों देशों में कट्टरपंथी मुसलमानों द्वारा अहमदिया संप्रदाय के लोगों के खिलाफ जबर्दस्त अभियान चलाया जा रहा है। 19वीं शताब्दी के अंत में सियालकोट के रहने वाले मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया संप्रदाय की स्थापना की थी। इस संप्रदाय को ब्रिटिश सरकार ने प्रोत्साहन दिया था। ब्रिटिश सरकार ने इस समुदाय को एक नया नगर बसाने के लिए भारत के गुरदासपुर जिले के कादियान नामक कस्बे में हजारों एकड़ भूमि प्रदान की थी। अहमदियों ने पाकिस्तान के निर्माण में

सक्रिय भूमिका निभाई थी। उन्हें यह आशा थी कि पाकिस्तान का निर्माण होने के बाद अंग्रेज पाकिस्तान के शासन की बागडोर सर मोहम्मद जफरुल्लाह खान को सौंप जाएंगे, लेकिन अंग्रेजों ने पाकिस्तान की बागडोर मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना को सौंप दी। अहमदिया नेता सर जफरुउल्लाह पाकिस्तान में सात सालों तक विदेश मंत्री रहे।

पाकिस्तान में 1953 में व्यापक पैमाने पर अहमदिया विरोधी दंगे हुए थे। इन दंगों में एक लाख से अधिक लोग मारे गए थे। इन दंगों के सूत्रधार जमात-ए-इस्लामी के संस्थापक मौलाना मौदूदी थे। इन दंगों की जांच के लिए 1954 में मुनीर आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 17 मौलानाओं को मौत की सजा दी गई थी, जिनमें मौलाना मौदूदी भी शामिल थे। सैन्य तानाशाह अयूब खान ने अपने कार्यकाल में इन सभी दोषियों की फांसी की सजा को माफ कर दिया और उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों के दबाव पर 1974 में पाकिस्तान के संविधान में संशोधन करके अहमदियों को गैर-मुस्लिम घोषित कर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान के निर्माण के बाद अहमदिया जमात में विभाजन हो गया था। एक गुट ने कादियान में अपना मुख्यालय बरकरार रखा। जबकि दूसरे गुट ने पाकिस्तान के रबवाह में अपना एक नया मुख्यालय स्थापित कर लिया। पाकिस्तान में अहमदिया विरोधी दंगों के बाद अहमदी खलीफा अपनी जान बचाकर लंदन भाग गए थे। भारत में भी जमीयत उलेमा और अन्य मुस्लिम संगठन भारत सरकार से अहमदियों को गैर-मुस्लिम घोषित करने की मांग करते आ रहे हैं।

अफगानिस्तान के गृह मंत्री का त्यागपत्र

इंकलाब (16 मार्च) के अनुसार अफगानिस्तान के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा को सौंप दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अखुंदजादा ने उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है। हालांकि, इस त्यागपत्र का कोई कारण नहीं बताया गया है, लेकिन कहा जाता है कि तालिबान के नेतृत्व में कई मामलों में गंभीर आपसी मतभेद हैं। इसके कारण कुछ समय से सिराजुद्दीन हक्कानी अपने मंत्रालय में नहीं आ रहे थे।

गौरतलब है कि अफगानिस्तान के उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास स्तानिकजई ने भी अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे खोल देनी चाहिए, क्योंकि यह प्रतिबंध शरिया के अनुरूप नहीं है। उनके इस बयान के बाद अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ तालिबान के नेतृत्व में बवाल मच गया था। यह भी चर्चा है कि तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया था, लेकिन

स्तानिकजई अपनी गिरफ्तारी से पहले ही काबुल से फरार होकर दुबई चले गए थे। बाद में उन्होंने अपना त्यागपत्र अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को भेज दिया था। तब से शेर मोहम्मद अब्बास स्तानिकजई अज्ञातवास में रह रहे हैं। इससे पहले अफगानिस्तान के उप गृह मंत्री मोहम्मद नबी ओमारी भी महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे खोलने की मांग कर चुके हैं।

ब्रिटेन के शाही महल में पहली बार रोजा इफ्तार का आयोजन

हिंदुस्तान (6 मार्च) के अनुसार ब्रिटेन के इतिहास में पहली बार ब्रिटेन के सम्राट के सरकारी आवास में रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया है। इसमें 350 विशिष्ट मुस्लिम नेता शामिल हुए। इफ्तार का यह आयोजन सेंट जॉर्ज हॉल में हुआ था। यह हॉल ब्रिटेन के सम्राट के सरकारी आवास विंडसर कैसल परिसर में स्थित है। रोजा इफ्तार के इस कार्यक्रम में आमंत्रित अतिथियों के स्वागत के लिए ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय और उनकी पत्नी भी मौजूद थीं। इफ्तार से पहले शाही महल में नमाज की अजान दी गई। यह पहला अवसर है जब ब्रिटेन के सम्राट के सरकारी आवास में किसी व्यक्ति को नमाज की अजान देने का अवसर मिला हो। हाल ही में ब्रिटेन में रहने वाले मुस्लिम नेताओं ने शिकायत की थी कि ब्रिटिश समाज में मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ जनाक्रोश की भावना बड़ी तेजी से बढ़ रही है। ब्रिटेन की कुल आबादी में से 10 प्रतिशत मुसलमान बताए जाते हैं।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (3 मार्च) के अनुसार अमेरिका की तरह ब्रिटेन में भी अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। इन घुसपैठियों में मुसलमानों की भारी संख्या है, इसलिए ब्रिटेन के मुसलमानों में जनाक्रोश की भावना तेजी से उभर रही है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटिश गृह मंत्रालय ने अवैध घुसपैठियों को गिरफ्तार करने और उन्हें ब्रिटेन से निष्कासित करने के लिए एक नया विभाग इमिग्रेशन इंफोर्समेंट स्थापित किया है। इस विभाग में लगभग एक हजार गुप्तचरों को भर्ती किया गया है। ब्रिटिश मीडिया के अनुसार गुप्तचर सैलून, रेस्टोरेंट और कार्यशालाओं सहित उन स्थानों की जांच कर रहे हैं, जो ब्रिटेन में अवैध घुसपैठ करने वालों के अड्डे माने जाते हैं। विदेशी मीडिया के अनुसार ब्रिटेन में हर सप्ताह औसतन 500 घुसपैठियों को हिरासत में लिया जा रहा है।

एतेमाद (2 मार्च) के अनुसार गाजा युद्ध के बाद ब्रिटेन में मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में इस्लामोफोबिया की 5837 घटनाओं की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई गई थी। जबकि 2023 में ऐसी घटनाओं की संख्या 3767 थी। वहीं, 2022 में यह संख्या 2201 थी। इन आंकड़ो से यह पुष्टि होती है कि ब्रिटेन, जिसे यूरोप का सबसे उदारवादी और सेक्युलर समाज माना जाता है, वहां पर भी मुसलमानों के प्रति नफरत की भावना में तेजी से वृद्धि हो रही है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार गाजा युद्ध के बाद मुस्लिम विरोधी ऑनलाइन रूझान को नई गति

मिली है। हाल ही में ब्रिटेन के साउथपोर्ट में एक इस्लामिक अतिवादी ने तीन नाबालिगों की हत्या कर दी थी। कहा जाता है कि ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय ने जो रोजा इफ्तार का आयोजन किया है वह मुस्लिम विरोधी भावना के निराकरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

यूरोप में इस्लामिक कट्टरतावाद की लहर

औरंगाबाद टाइम्स (10 मार्च) के अनुसार स्पेन पुलिस ने गुप्तचर एजेंसियों के सहयोग से इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू कर दिया है। अब तक आतंकवादी गतिविधियों के आरोप में 10 मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये गिरफ्तारियां स्पेन के आतंकवाद निरोधक विभाग की ओर से की गई हैं। गिरफ्तार किए गए अधिकांश लोगों का संबंध पाकिस्तान और ईरान से है। पुलिस ने 6 मार्च को 12 कथित आतंकवादियों को स्पेन की राष्ट्रीय जांच अदालत में पेश किया था। उन पर आतंकवाद को प्रोत्साहन देने और आतंकवादी संगठनों के लिए भर्ती करने का आरोप है। इन आरोपियों पर आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन इकट्ठा करने का भी आरोप लगाया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक महिला भी शामिल है। यह महिला एक इस्लामिक ऑनलाइन ग्रुप का संचालन कर रही थी। इस ग्रुप की ओर से सोशल मीडिया पर इस्लामिक आतंकवाद से संबंधित सामग्री का प्रसारण किया जा रहा था और लोगों को आतंकवादी गतिविधियों में भाग लेने के लिए उकसाया जा रहा था।

कौमी तंजीम (5 मार्च) के अनुसार जर्मनी के मैनहेम नगर में एक इस्लामिक अतिवादी ने अपने वाहन से दो लोगों को कुचल कर मार दिया और कई लोगों को घायल कर दिया। पुलिस के अनुसार जब इस नगर में एक ईस्टर कार्निवल का आयोजन किया जा रहा था तो एक व्यक्ति ने वाहन को भीड़ पर चढ़ा दिया। पुलिस के अनुसार एक मुस्लिम शरणार्थी काले रंग का एक वाहन तेजी से चला रहा था और उसने जानबूझकर कार्निवल में भाग लेने वाले ईसाइयों को कुचल दिया। समाचारपत्र के अनुसार हाल ही में जर्मनी में इस्लामिक अतिवादी गतिविधियों में भारी वृद्धि हुई है। पिछले तीन महीने में चार अतिवादी एक दर्जन व्यक्तियों को वाहन से कुचलकर मौत के घाट उतार चुके हैं। जबकि एक अन्य घटना में एक इस्लामिक अतिवादी ने चाकू से दो वृद्ध व्यक्तियों की हत्या कर दी है। गौरतलब है कि जर्मनी सरकार इससे पहले एक दर्जन इस्लामिक आतंकवादी गुटों पर प्रतिबंध लगा चुकी है और छह मस्जिदों को सील किया जा चुका है।

सीरिया में शिया–सुन्नियों के बीच खौफनाक जंग

सीरिया में पिछले एक सप्ताह से शियाओं और सुन्नियों के बीच जारी युद्ध में दो हजार से अधिक लोग मारे गए हैं और एक हजार से अधिक महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है।

एतेमाद (8 मार्च) के अनुसार पिछले तीन महीने से सीरिया की सत्ता पर काबिज हयात तहरीर अल-शाम (एचटीएस) ने सीरिया के अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल-असद के कुछ शिया समर्थकों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो शियाओं की भीड़ ने सरकारी सैनिकों पर हमला बोल दिया, जिसमें 12 सैनिक मारे गए। उल्लेखनीय है कि एचटीएस अब सीरियाई सेना का रूप ले चुका है। इसके अतिरिक्त सीरिया के शिया बहुल क्षेत्रों में दोनों पक्षों के बीच खूनी युद्ध शुरू हो गया है। सीरिया के दो प्रमुख शिया बहुल क्षेत्र लताकिया और टार्टुस इस युद्ध के केंद्र बने हैं। गौरतलब है कि सीरिया के अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल-असद लताकिया के रहने वाले हैं।

सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के अनुसार इन झड़पों में दो हजार से अधिक लोग मारे गए हैं। मरने वालों में अधिकांश का संबंध शिया संप्रदाय के अलावी समूह से है। इस संगठन द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इन झड़पों में 500 से अधिक सैनिक मारे गए हैं। विज्ञप्ति में यह भी दावा किया गया है कि सरकारी सैनिकों ने एक हजार से अधिक महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया है। सरकार ने एक सप्ताह से इस पूरे क्षेत्र की बिजली और पानी की सप्लाई काट रखी है। जब नागरिक पानी और राशन लेने के लिए अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो सरकारी सैनिक उन्हें मौत के घाट उतार देते है। इस संगठन के अनुसार अपनी जान बचाने के लिए 10 लाख से अधिक शिया अपने घरों से भागकर पड़ोसी देशों में शरण ले चुके हैं और यह सिलसिला अभी जारी है।

दूसरी ओर, सीरियाई रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने दावा किया है कि बशर अल-असद के समर्थक विदेशी सहायता से सरकार का तख्ता पलटने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपदस्थ राष्ट्रपति अल-असद को फिर से सीरिया की सत्ता में लाया जा सके। उन्हें विदेशों से भारी मात्रा में

आर्थिक सहायता और हथियारों की सप्लाई की जा रही है। सरकार ने यह दावा किया है कि इस संघर्ष में 159 सरकारी सैनिक मारे गए हैं। जबकि अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल-असद के लगभग 500 समर्थक भी इस संघर्ष में मारे गए हैं।

अवधनामा (10 मार्च) ने आरोप लगाया है कि सरकारी सेना शिया बहुल इलाकों में लूटपाट कर रही है और महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है। समाचारपत्र ने दावा किया है कि सड़कों और घरों के अंदर हजारों शव सड़ रहे हैं। समाचारपत्र के अनुसार सरकारी सैनिक शियाओं की महत्त्वपूर्ण दरगाहों, मकबरों व मस्जिदों में आग लगाकर उन्हें तबाह कर रहे हैं और शियाओं की चुन-चुनकर हत्याएं कर रहे हैं। एक अन्य समाचार के अनुसार सीरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने कहा है कि हम किसी भी सीरियाई नागरिक के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग विदेशियों के इशारे पर हमारे देश की शांति को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने सभी नागरिकों से अपील की थी कि वे अपने हथियार सरकार के हवाले कर दें, लेकिन शरारती तत्वों ने जानबूझकर अपने हथियार सरकार के हवाले नहीं किया और अब वे अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम एक-एक विद्रोही का सफाया करके ही दम लेंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सशस्त्र गिरोह सरकारी सेना पर हमले कर रहे हैं।

मुंसिफ (10 मार्च) के अनुसार मरने वालों की संख्या दो हजार से अधिक हो गई है। सीरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने आरोप लगाया है कि इस उपद्रव को भड़काने के पीछे हिजबुल्लाह का हाथ है। ईरान हिजबुल्लाह को हथियार उपलब्ध करा रहा है। सरकारी सेना के एक उच्चाधिकारी ने पत्रकारों को बताया कि इन उपद्रवों के पीछे हिजबुल्लाह का हाथ है। लेबनान से विद्रोहियों को भारी मात्रा में हथियारों की सहायता मिली है। इसके अतिरिक्त ईरान के इशारे पर हिजबुल्लाह के लड़ाके भारी संख्या में सीरिया में घुसपैठ कर चुके हैं। हाल ही में समुद्री रास्ते से शिया सशस्त्र गिरोहों ने सीरिया में घुसपैठ की है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान फिर से बशर अल-असद को सीरिया की सत्ता में लाना चाहता है। लताकिया के गवर्नर मोहम्मद ओथमान ने न्यूज चैनल 'अल अरेबिया' को बताया कि विदेशी ताकतें सरकार के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला भड़काने और वर्तमान सरकार का तख्ता पलटने की साजिश कर रही हैं। ये फिर से शियाओं को सीरिया की सत्ता पर काबिज करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इन तत्वों को अशांति फैलाने की अनुमति नहीं देगी और उन्हें सख्ती से कुचल दिया जाएगा।

उर्दू टाइम्स (12 मार्च) के अनुसार सरकार ने विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन को स्थगित करने की घोषणा की है। सीरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने दमिश्क की एक मस्जिद में नमाजियों को संबोधित करते हुए कहा कि सीरिया के अधिकांश क्षेत्रों से विद्रोहियों का सफाया कर दिया गया है।

एतेमाद (1 मार्च) के अनुसार इजरायल ने घोषणा की है कि उसकी सेना दक्षिणी सीरिया के माउंट हर्मन (जबल अल-शेख) में तैनात रहेगी। इजरायल ने दावा किया कि उसे सीरिया की नई सरकार पर भरोसा नहीं है। इजरायली प्रवक्ता ने यह पुष्टि की है कि इजरायली जहाजों ने हाल ही

में सीरिया पर चार बार हमला किया है और अनेक सैन्य ठिकानों को अपना निशाना बनाया है। प्रवक्ता ने कहा कि दक्षिणी सीरिया में स्थित माउंट हर्मन में इजरायली सेना का तैनात रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि वहां से चार देशों लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और फिलिस्तीन की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है।

रोजनामा सहारा (16 मार्च) के अनुसार अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए सीरिया की नई सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका सीरिया में अपने और अधिक सैनिकों को नहीं भेज रहा है, लेकिन वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए राजनयिक और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु हर संभव कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सीरिया सरकार ईसाइयों और

अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो रवैया अपना रही है, वह अस्वीकार्य है। अमेरिका इस संदर्भ में अपने सहयोगियों से बातचीत कर रहा है ताकि सीरिया में रहने वाले ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान की जाए। उल्लेखनीय है कि सीरिया में पहले से ही दो हजार अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं।

अरब देशों द्वारा गाजा के पुनर्निर्माण की योजना पेश

इंकलाब (14 मार्च) के अनुसार कतर में आयोजित अरब देशों के विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन में अमेरिकी प्रशासन के एक उच्चाधिकारी ने भी भाग लिया। इस सम्मेलन में गाजा के पुनर्निमार्ण के लिए मिस्र के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। मिस्र के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि की है। प्रवक्ता ने बताया कि मिस्र और अन्य अरब देशों का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल अमेरिका जा रहा है। यह प्रतिनिधिमंडल अमेरिका से गाजा के पुनर्निर्माण

दी है ताकि गाजा के विस्थापित फिलिस्तीनियों को इन देशों की भूमि पर बसाया जा सके। इस संबंध में ट्रम्प सरकार तीन देशों सूडान, सोमालिया और सोमालीलैंड से वार्ता कर रही है। इजरायल के वित्त मंत्री ने इजरायली संसद में यह संकेत दिया है कि गाजा पट्टी पर कब्जा और इसकी आबादी की बेदखली के लिए ट्रम्प की योजना पर विचार किया जा रहा है।

योजना पर बातचीत करेगा। इसके बाद काहिरा में फिलिस्तीन सरकार और संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से इस योजना के लिए धनराशि जुटाने के उद्देश्य से एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। गाजा के पुनर्निर्माण की योजना का प्रारूप मिस्र के विशेषज्ञों के एक समूह ने तैयार किया है। यह प्रारूप 100 पृष्ठों की है, जिसे अंग्रेजी और अरबी भाषा में तैयार किया गया है। इस प्रारूप को हाल ही में काहिरा में हुए अरब देशों के शिखर सम्मेलन में बांटा गया था।

उर्दू टाइम्स (5 मार्च) के अनुसार गाजा के भविष्य के बारे में मिस्र की योजना के मुताबिक हमास को सरकार से अलग कर दिया जाएगा और गाजा में कार्यवाहक प्रशासन की स्थापना की जाएगी, जो अरब, मुस्लिम और पश्चिमी देशों के सहयोग से काम करेगा। इसके द्वारा गाजा के पुनर्निर्माण पर नजर रखी जाएगी। इस योजना में चुनाव या भविष्य की सरकार के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। हमास के एक वरिष्ठ प्रवक्ता सामी अबू जुहरी ने मिस्र द्वारा तैयार किए गए प्रारूप को खारिज कर दिया है। जुहरी ने कहा है कि गाजा के भविष्य का फैसला सिर्फ फिलिस्तीनी जनता करेगी। उन्होंने कहा कि हम किसी भी विदेशी ताकत को गाजा में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देंगे।

सियासत (15 मार्च) के अनुसार अमेरिका ने गाजा से विस्थापित फिलिस्तीनियों के पुनर्वास के लिए तीन अफ्रीकी देशों से बातचीत शुरू कर

एतेमाद (9 मार्च) के अनुसार ईरान के सुझाव पर जेद्दा में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में फिलिस्तीन समस्या और अल-अक्सा मस्जिद (बैतुल मुकद्दस) का समर्थन किया गया है। इस सम्मेलन में अरब देशों द्वारा गाजा के पुनर्निर्माण की योजना का भी समर्थन किया गया है। ओआईसी के महासचिव हिसेन ब्राहिम ताहा ने इस बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि ओआईसी गाजा के पुनर्निर्माण हेतु मिस्र द्वारा तैयार की गई योजना का पूर्ण समर्थन करता है। इस अधिवेशन को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्री मुहम्मद इशाक डार ने कहा कि पाकिस्तान फिलिस्तीनी जनता के साथ खड़ा है और अरब लीग के फैसले का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि गाजा के पुनर्निर्माण के साथ-साथ यह भी जरूरी है कि इजरायल फिलिस्तीनियों का उत्पीड़न बंद करे और विश्व द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करे। इस सम्मेलन में फिलिस्तीनी जनता को किसी अन्य देश में बसाने की योजना का विरोध किया गया है।

एतेमाद (6 मार्च) के अनुसार अरब नेताओं ने गाजा के पुनर्निर्माण हेतु मिस्र की योजना को स्वीकृति दे दी है। इस पर 53 अरब डॉलर की लागत आने की संभावना है। अरब नेताओं ने गाजा को रिवेरा के रूप में विकसित करने और फिलिस्तीनियों को किसी अन्य देश में बसाने के

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के निर्णय का भी विरोध किया है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी ने विश्वास जताया है कि डोनाल्ड ट्रम्प युद्ध से तबाह गाजा पट्टी में शांति स्थापित करने के साथ-साथ उसके पुनर्निर्माण में भी सहयोग देंगे। अल-सिसी ने कहा कि इससे जुड़े हुए कुछ सवालों पर भी विचार करने की जरूरत है। इनमें से मुख्य सवाल यह है कि इस एन्क्लेव का प्रशासन कौन चलाएगा और इसके पुनर्निर्माण के लिए अरबों डॉलर कहां से आएंगे? उन्होंने सुझाव दिया कि फिलिस्तीनी जनता के साथ मिलकर फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट की एक प्रशासकीय कमेटी बनाई जाए, जिसे गाजा के शासन की जिम्मेवारी सौंपी जाए।

फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रमुख महमूद अब्बास ने मिस्र के सुझाव का स्वागत करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि वे यह ध्यान रखें कि उनकी योजना में किसी भी फिलिस्तीनी निवासी को बेदखल करने का उल्लेख न हो। उन्होंने कहा कि वे गाजा में चुनाव करवाने के लिए तैयार हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने मिस्र के इस योजना का समर्थन करते हुए कहा है कि गाजा का पुनर्निर्माण इस आधार पर होना चाहिए कि वहां के निवासियों को गाजा से बेदखल करने की जरूरत न पड़े।

यमन में हूतियों के ठिकाने पर अमेरिका और ब्रिटेन के हमले

इंकलाब (17 मार्च) के अनुसार अमेरिका और ब्रिटेन के जहाजों ने यमन की राजधानी साना में हूतियों के ठिकानों पर कई दर्जन हमले किए। इन हमलों में कम-से-कम 71 लोगों के मरने और सैकड़ों लोगों के घायल होने की पुष्टि की गई है। यमन सरकार के एक प्रवक्ता के अनुसार ये हमले साना के आवासीय क्षेत्रों पर किए गए। यमन सरकार ने नागरिकों पर हमले की निंदा की है और इसे युद्ध अपराध बताया है। प्रवक्ता के अनुसार जिला शुऐब में अमेरिकी और ब्रिटिश हमलों के कारण अनेक आवासीय इमारतें ध्वस्त हो गईं। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की थी कि उन्होंने सेना को यमन के खिलाफ निर्णायक सैन्य ऑपरेशन शुरू करने का आदेश दे दिया है।

अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यह घोषणा की है कि यमन में हूतियों के खिलाफ उनकी कार्रवाई जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि सभी हूती आतंकवादियों के लिए मेरा यह

संदेश है कि आपका समय समाप्त हो चुका है। अब आपके हमले रूक जाने चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप को नरक की आग में झोंक दिया जाएगा। उन्होंने ईरान को चेतावनी दी कि वह हूती आतंकवादियों का समर्थन करना फौरन बंद कर दे। ट्रम्प ने कहा कि अब हम किसी भी कीमत पर हूतियों को समुद्र की नाकाबंदी करने की अनुमति नहीं देंगे। दूसरी ओर, हूती विद्रोहियों के राजनीतिक ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारी सेना अमेरिकी आक्रांताओं का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हूती समूह के प्रवक्ता मोहम्मद अब्दुल सलाम ने कहा कि यमन पर अमेरिकी हमले एक स्वतंत्र देश के खिलाफ खुली आक्रामकता है।

एक अन्य समाचार के अनुसार ईरानी मिलिशिया पासदारान-ए-इंकलाब (आईआरजीसी) के प्रमुख हुसैन सलामी ने कहा है कि हम ट्रम्प की धमकी का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने एक टेलीविजन चैनल पर भाषण देते हुए कहा कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर किसी ने धमकी दी तो हम उसका उचित जवाब देंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि अमेरिका ईरान को विदेश नीति के बारे में कोई सीख न दे, बल्कि वह यमन में हूतियों पर हमले के सिलसिले को फौरन बंद करे। हम किसी भी कीमत पर यमनी जनता के नरसंहार को सहन नहीं करेंगे।

अवधनामा (17 मार्च) के अनुसार पेंटागन के प्रवक्ता ने कहा कि हूतियों ने 2023 से अब तक अमेरिकी लड़ाकू विमानों पर 174 बार और व्यापारिक जहाजों पर 145 बार हमले किए हैं। यमन पर ताजा हमले लाल सागर में मौजूद अमेरिकी जहाज यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन से किए गए। रूस के विदेश मंत्री ने अमेरिका से अपील की है कि वह यमन पर हमले फौरन बंद करे। इस संबंध में रूस के विदेश मंत्री ने अमेरिकी विदेशी मंत्री से टेलीफोन पर भी बातचीत की है। हूतियों ने घोषणा की है कि वे लाल सागर, अरब सागर और अदन की खाड़ी से गुजरने वाले इजरायली जहाजों व उसके सहयोगी देशों के जहाजों पर हमलों का सिलसिला दोबारा शुरू कर रहे हैं।

संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय महिला को फांसी

औरंगाबाद टाइम्स (4 मार्च) के अनुसार भारत सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात में उत्तर प्रदेश की मुस्लिम महिला शहजादी खान की जान बचाने का प्रयास किया था, लेकिन उसका यह प्रयास सफल नहीं हुआ। विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि 15 फरवरी 2025 को अबू धाबी में 33 वर्षीय शहजादी खान को फांसी दे दी गई थी। जबकि संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने 28 फरवरी को इस संदर्भ में भारत सरकार को सूचित किया। विदेश मंत्रालय ने यह सूचना दी है कि भारत सरकार शहजादी के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए उसके परिवारजनों को अबू धाबी भेजने का प्रयास करेगी। गौरतलब है कि शहजादी की मां ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया था कि विदेश मंत्रालय को यह निर्देश

दिया जाए कि वह शहजादी की जान बचाने का प्रयास करे। इस याचिका में शहजादी की मां ने यह दावा किया था कि 14 फरवरी को उनकी बेटी ने उन्हें टेलीफोन करके सूचित किया था कि उसे फांसी दिए जाने की संभावना है। इस याचिका में शहजादी के परिवारजनों ने कहा था कि उन्होंने अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास से भी अपनी बेटी की जान बचाने की गुहार लगाई थी और सरकार से अनुरोध किया था कि शहजादी की जान बचाने के लिए ब्लड मनी के भुगतान की व्यवस्था की जाए।

उल्लेखनीय है कि शहजादी दुबई में एक सामाजिक संगठन में काम करती थी। 2021 में वह फेसबुक के माध्यम से आगरा के रहने वाले उजैर के संपर्क में आई थी। उजैर शहजादी को नौकरी दिलवाने का झांसा देकर उसे अपने साथ दुबई ले गया। नवंबर 2021 में उसने दुबई में रहने वाले एक व्यक्ति फैज के हाथों शहजादी को बेच दिया। शहजादी ने भारतीय दूतावास को पत्र भेजकर यह आरोप लगाया था कि फैज और उसका परिवार उसे बंधक बनाकर रखते हैं। उन्होंने उसका पासपोर्ट भी छीन लिया है। वह वापस भारत आना चाहती है, लेकिन ये लोग उसे वापस नहीं आने दे रहे हैं। शहजादी ने यह भी आरोप लगाया था कि इस परिवार का चार महीने का एक बच्चा था, जिसकी बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई थी, लेकिन फैज और उसके परिवार ने इस बच्चे की हत्या के आरोप में उसे फंसा दिया है। अदालत में इस बच्चे की हत्या के आरोप में शहजादी के खिलाफ सुनवाई हुई और अदालत ने उसे मौत की सजा सुना दी। इसके बाद शहजादी ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी, लेकिन अदालत ने उसकी अपील को खारिज कर दिया।

अवधनामा (4 मार्च) के अनुसार शहजादी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की रहने वाली थी। फरवरी 2023 में शहजादी की एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिली थी, जिसमें उसने यह स्वीकार किया था कि उसने फैज के बच्चे की हत्या की है। शहजादी के परिवारजनों ने आरोप लगाया था कि संयुक्त अरब अमीरात पुलिस ने दबाव डालकर उससे यह कबूलनामा लिया था। इस कबूलनामे के आधार पर अदालत ने शहजादी को मौत की सजा सुनाई थी।

औरंगाबाद टाइम्स (9 मार्च) के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने 6 मार्च को कुछ फोटो और वीडियो शहजादी खान के परिवारजनों को भिजवाया था। इस वीडियो के अनुसार शहजादी को 15 फरवरी की सुबह अबू धाबी की एक जेल में गोली मारकर मौत की सजा दी गई थी। वीडियो में यह दिख रहा है कि शहजादी को एक विशेष तरीके का लिबास पहनाकर एक खंभे से बांधा गया था। उसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई थी और दोनों हाथ खंभे से बांधे गए थे। उसके दिल के ऊपर एक विशेष निशान लगा हुआ था ताकि शूटर को उसके सीने में गोली मारने में आसानी हो। संयुक्त अरब अमीरात में मृत्युदंड देने का यही तरीका है। जिन लोगों को मौत की सजा दी जाती है उनके शवों को वहीं पर दफना दिया जाता है। संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने शहजादी के परिवारजनों को सूचित किया था कि अगर वे चाहें तो अबू धाबी आकर शहजादी को दफन किए जाने के मौके पर मौजूद रह सकते हैं, लेकिन उसके पिता शब्बीर खान ने बताया कि आर्थिक संकट के कारण उनके लिए अबू धाबी जाना संभव नहीं है।

आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के प्रमुख की हत्या

चट्टान (16 मार्च) के अनुसार इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी ने घोषणा की है कि अमेरिकी सैनिकों के सहयोग से इराकी सुरक्षा बलों ने इस्लामिक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के प्रमुख अब्दुल्ला मक्की मुस्लिह अल-रिफाई उर्फ अबू खदीजा की हत्या कर दी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता ने भी अबू खदीजा के मारे जाने की पुष्टि करते हुए कहा है कि अबू खदीजा आईएसआईएस के खलीफा के रूप में विश्वभर में इसकी गतिविधियों का संचालन कर रहा था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर माइकल एरिक कुरिल्ला ने कहा है कि अमेरिका आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठन को बर्बाद करने के लिए कटिबद्ध है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि अमेरिका के जांबाज सैनिकों ने अबू खदीजा की हत्या कर दी है, क्योंकि अमेरिका शांति चाहता है। सीरिया के विदेश मंत्री असद अल-शैबानी ने बगदाद में कहा कि उनकी सरकार आईएसआईएस का संपूर्ण उन्मूलन करने हेतु इराक को हर तरह का सहयोग देने के लिए तैयार है। असद अल-शैबानी हाल ही में इराक दौरे पर गए थे।

रोजनामा सहारा (16 मार्च) के अनुसार सीरिया के विदेश मंत्री के इराक दौरे से दोनों देशों के संबंधों में सुधार होने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि सीरिया के अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल-असद इराक सरकार के सहयोगी थे। इराक में शिया बहुमत में हैं, लेकिन इराक के अमेरिका से भी निकटवर्ती संबंध हैं। ईरान भी बशर अल-असद का समर्थक रहा है, लेकिन जब एचटीएस के लड़ाकों ने बशर अल-असद सरकार के खिलाफ कार्रवाई की तो ईरान ने उन्हें कोई सहायता नहीं दी। बशर अल-असद रूस और ईरान की मदद से सीरिया की सत्ता में जमे हुए थे। इसके अतिरिक्त लेबनानी मिलिशिया हिजबुल्लाह भी बशर अल-असद का समर्थक रहा है और हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन प्राप्त है।

एक अन्य समाचार के अनुसार 13 मार्च को इराक के अल अनबर क्षेत्र में अमेरिकी और इराकी सेना की संयुक्त कार्रवाई में अबू खदीजा को निशाना बनाया गया था। अमेरिकी सेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि खदीजा की पहचान उसके डीएनए टेस्ट के जरिए की गई है। अबू खदीजा का जन्म 1991 में हुआ था। 2009 में वह अल-कायदा में शामिल हो गया। 2011 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद वह इराक की एक जेल से फरार हो गया। 2014 में सीरिया और इराक में आईएसआईएस का उभार हो रहा था। खदीजा उसके साथ जुड़ गया और धीरे-धीरे उसका प्रभाव इस आतंकवादी संगठन में बढ़ता गया। बाद में उसे इराक और सीरिया में आईएसआईएस का प्रमुख बना दिया गया। इसके बाद उसने इराक और सीरिया में आईएसआईएस का विस्तार किया। बाद में उसे आईएसआईएस का उप खलीफा बनाया गया। 2019 में आईएसआईएस के तत्कालीन प्रमुख अबू बकर अल-बगदादी के मारे जाने के बाद वह आईएसआईएस का प्रमुख बना। दुनियाभर में आईएसआईएस का ऑपरेशन वही तय करता था। पिछले कई सालों से इराक और अमेरिका की सेना सीरिया और इराक में आईएसआईएस के खिलाफ अभियान चला रही हैं। 2017 में इराक और 2019 में सीरिया में आईएसआईएस की कमर तोड़ दी गई, लेकिन इसके बावजूद इस संगठन के आतंकवादी अभी भी इराक और सीरिया में सक्रिय हैं। इराक में इस समय ढ़ाई हजार अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं, जो इराकी सेना के साथ मिलकर आईएसआईएस के खिलाफ अभियान चला रहे हैं।

RNI No. DELHIN/2017/72722

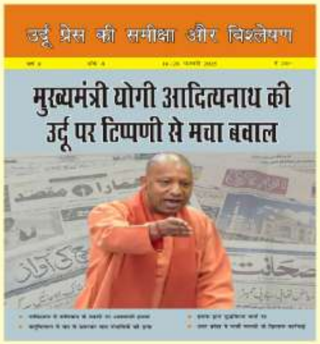

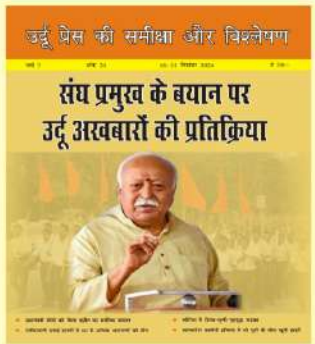

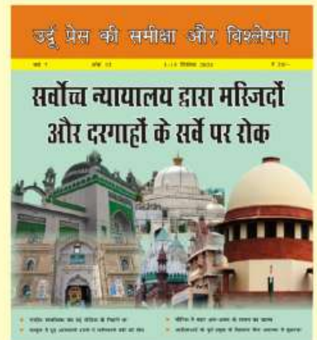

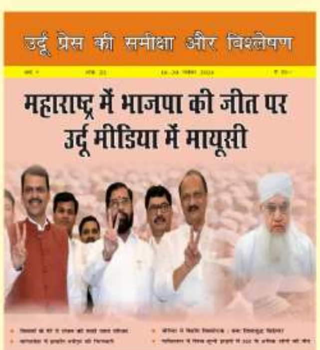

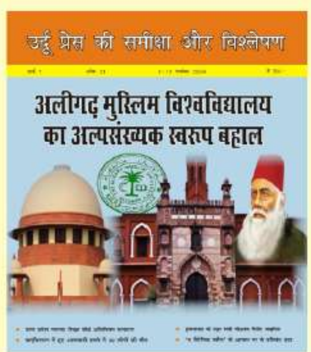

|| सर्वेभवन्तु सुखिनः ||

भारत नीति प्रतिष्ठान

India Policy Foundation

डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016

दूरभाष : 011-26524018

ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com

वेबसाइट : www.ipf.org.in